


मध्यप्रदेश शासन,  
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग  
मंत्रालय  
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 16/11/2017

क्रमांक एफ 5-21/2017/अ-तेहत्तर : राज्य शासन द्वारा संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार "मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2017" तथा संलग्न परिशिष्ट-दो अनुसार "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2017" जारी की जाती है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम  
से तथा आदेशानुसार

  
(धनजय सिंह)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

भोपाल, दिनांक 16/11/2017

पृ. क्रमांक एफ 5-21/2017/अ-तेहत्तर,

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, .....  
(समस्त विभाग)।
4. उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।



6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल।
7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. भोपाल।
8. संभागायुक्त.....(समस्त)
9. नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर "मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2017" तथा "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2017 " की हिन्दी की हस्ताक्षरित प्रति सहित संलग्न कर निवेदन है कि कृपया आगामी राजपत्र में प्रकाशित करवाकर उसकी 25 प्रतियाँ इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
10. कलेक्टर.....(समस्त)।

  
उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,  
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग


उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश  
(वित्तीय सहायता कक्ष)

पृ.क्रमांक 36/विसहा/(2)/2017/2494-2554

भोपाल, दिनांक 29.12.2017

प्रतिलिपि :-

1. परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, समस्त, मध्यप्रदेश।
2. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, समस्त, मध्यप्रदेश।

  
सहायक संचालक उद्योग  
उद्योग संचालनालय, म.प्र.